<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>07/08/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आँचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इंदौर नगर निगम (आईएमसी) फर्जी बिल घोटाले के मामले में 05-06 अगस्त 2024 को इंदौर (मध्य प्रदेश) में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने आईएमसी फर्जी बिल घोटाले के संबंध में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि आईएमसी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके विभिन्न ठेकेदारों ने आपराधिक साजिश रची और नाले के निर्माण कार्य के फर्जी बिल पेश करके अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की। जिस काम के लिए फर्जी बिल बनाए गए थे, उसका भुगतान करने से पहले न तो जमीन पर काम किया गया था और न ही आईएमसी के लेखा और लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उसका सत्यापन किया गया था। विभिन्न निजी ठेकेदारों द्वारा आईएमसी के समक्ष फर्जी बिल प्रस्तुत करके बनाए गए पीओसी को उनके और विभिन्न आईएमसी अधिकारियों के बीच लूटा गया।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 1.25 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई और बैंक खाते, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड और इक्विटी के रूप में कुल 20.8 करोड़ रुपये के निवेश को फ्रीज कर दिया गया।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।